उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

संख्याः 8/2018/592/6-पु-1-18-54/2015

लखनऊः दिनांकः 18 जून, 2018

<u>अधिसूचना</u>

<u>प्रकीर्ण</u>

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1861) की धारा-2 और धारा-46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा-(2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td colspan="2">1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी ।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">नियम-12 का संशोधन</td><td colspan="2">2- उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-</td></tr>
<tr><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>वैवाहिक प्रास्थितिः-
12- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष/महिला अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों या ऐसी</td><td>वैवाहिक प्रास्थितिः-
12- ऐसा/ऐसी व्यक्तिः-
(क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो; या
(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो: परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्‌यमान है।	हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी; परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव, गृह

Uttar Pradesh Shasan
Grih (Police) Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 8/2018/592/6-pu-1-18-54/2015 dated: June 18, 2018 for general information:

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 8/2018/592/6-pu-1-18-54/2015
Dated Lucknow, June 18, 2018

In exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 read with sub-sections (3) of the said section and section-2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service Rules, 2015:-

THE UTTAR PRADESH POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2018

Short title and commenceme	1	(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service (Second Amendment) Rules, 2018. (2) They shall come into force with effect from the date of their

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td>nt</td><td></td><td colspan="2">publication in the Gazette.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Amemndment of rule-12</td><td rowspan="3">2</td><td colspan="2">In the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service (Second Amendment) Rules, 2018, for rule-12 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :-</td></tr>
<tr><td>Column-I
Existing rule</td><td>Column-II
Rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td>Marital Status
A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service.
Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.</td><td>Marital Status
No person-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.
Shall be eligible for appointment to Service:
Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person form the operation of this rule.</td></tr>
</table>

(Arvind Kumar)
Pramukh Sachiv, Grih

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।